

चमोली जिला सहकारी बैंक लि0, प्र0का0 गोपेश्वर

निविदा फार्म – Concurrent Audit, I S Audit, GST Audit

1	बैंक का नाम	चमोली जिला सहकारी बैंक लि0, प्र0का0 गोपेश्वर
2	सूचना प्रकाशन तिथि	राष्ट्रीय सहारा
3	निविदा फार्म प्रकाशन तिथि	05.04.25
4	साक्ष्यों सहित सूचना बैंक को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	18.04.25
5	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	19.04.2025 / अपराह्न 3.30 बजे
6	वांछित मानक (Configuration)	
क	जिला सहकारी बैंको में समवर्ती लेखा परीक्षा का अनुभव	
ख	रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जिसे जिला सहकारी बैंकों में ऑडिट का 5 वर्ष का अनुभव हो एवं फर्म का मुख्यालय/शाखा कार्यालय उत्तराखण्ड में स्थित हो।	
ग	बी आर एक्ट, आरबीआई, नाबार्ड, निबंधक सहकारी समितियां, आयकर अधिनियम, वस्तु एवं सेवा कर के नियमों एवं अधिनियमों की अच्छी समझ रखता हो।	
घ	फर्म CISA सर्टिफाईड हो साथ ही फर्म में कम्प्यूटराईज्ड सीबीएस शाखाओं में ऑडिट की जानकारी रखने वाले कार्मिकों की पर्याप्त मात्रा हो।	
7	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम	
8	संचालन कर्ता का नाम	
9	पंजीकरण संख्या	
10	पैन नम्बर	
11	दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर	
12	पूरा पता (साक्ष्य सहित)	
13	समवर्ती लेखा परीक्षा का अनुभव कोपरेटिव बैंको में	
14	पार्टनर्स की संख्या	
15	समवर्ती लेखा परीक्षा शुल्क की दर प्रति शाखा अर्द्धवार्षिक	
16	समवर्ती लेखा परीक्षा शुल्क की दर मुख्यालय अर्द्धवार्षिक	
17	जी0एस0टी0 ऑडिट शुल्क की दर वार्षिक	
18	आई0एस0 ऑडिट शुल्क की दर वार्षिक	
19	सर्टिफिकेशन फीस (FORM I DEAF, Interest Subvention, Quarterly Investment Etc.) प्रति सर्टिफिकेट के आधार पर	

हस्ताक्षर

समवर्ती लेखा परीक्षा हेतु नियम एवं शर्तें

1. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी दिशा निर्देश का परिपालन किया गया है।
2. शाखा में खाता खोलने के फार्म एवं केवाईसी को भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी।
3. प्रत्येक शाखा में खातों में पेन कार्ड, आधार कार्ड, फार्म 60/61 की स्थिति तात्तुरीक तक की जायेगी।
4. प्रत्येक शाखा में बनने विभिन्न रजिस्ट्रो की जाँच करनी होगी।
5. प्रत्येक शाखा में एफडीआर खातों की जाँच करनी होगी।
6. प्रत्येक शाखा में लोन खातों की जांच मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार जांच करनी होगी।
7. शाखा द्वारा टैक्स डिटेल्स सही प्रकार भरी गई है एवं टीडीएस इनकम टैक्स के नियम के अनुरूप कटौती की जांच की जाएगी।
8. शाखाओं द्वारा एसटीआर समयानुसार भरी जा रही है।
9. लेनदार एवं देनदार खातों के विवरण की जाँच ।
10. बैंकर्स एवं शाखा मुख्यालय रिकन्सीलेसन एवं खातों की जाँच ।
11. अन्य लाभ एवं हानि के खातों की जांच एवं लाभ क्षरण की जाँच ।
12. इन्वेन्टरी की जांच(रजिस्टर एवं फिनेकल से मिलान)।
13. लोन खातों में बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूतियों की जाँच ।
14. कैश एवं डेड स्टोक की जाँच।
15. शाखा की चाबियों एवं चाबियों के रजिस्टर की जाँच ।
16. शाखाओं में ऑडिट करने से पूर्व मुख्यालय से सम्पर्क करके मुख्यालय द्वारा अन्य नियम एवं शर्तें उपलब्ध करवायी जायेगी।
17. फर्म को समवर्ती, आई.एस, जीएसटी ऑडिट कर समय से अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी।